वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 121 /2025 *दिनांक- 01.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 01.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सरायमीर: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 15.06.2024 को आवेदक सुनील कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी अम्बेडकर चौक गढवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा मारपीट के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/24 धारा 307/323/504/506/336/34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. जिशान पुत्र इबरार उर्फ बाले 2. अरशद पुत्र शोकत 3. मुस्तफा पुत्र नन्हे 4. दो-तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात। पंजीकृत किया गया था।

अरशद पुत्र शौकत अली निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/ सदस्य 1. इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार अहमद उर्फ बाले निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2. मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ के साथ मिलकर आर्थिक , भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए अपने आस पास के अनुसूचित जाति के लोगो में अपने दबदबा बनाने के उद्देश से जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने ,मारपीट कर गंम्भीर चोट कारित करने , जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौज , जान माल की धमकी देते हुए अपना आतंक कायम करने का एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहे हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। जिसके बावत थाना स्थानीय पर दिनांक 31.03.2025 को मु0अ0सं0 119/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम गैंग 1. लीडर अरशद पुत्र शौकत अली निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ व सह अभियुक्त/ सदस्य 2. इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार अहमद उर्फ बाले निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 3. मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 01.04.2025 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अरशद पुत्र शौकत अली सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर ,जनपद आजमगढ 2. इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार उर्फ बाले साकि0 पुराना थाना, कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़ को बैतुलउलूम मदरसा के पास से समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 119/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 334/24 धारा 307/323/504/506/336/34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 119/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अरशद पुत्र शौकत अली सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर ,जनपद आजमगढ।
2. इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार उर्फ बाले साकि0 पुराना थाना, कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

02.थाना-तरवा: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

आवेदिका थाना तरवां जिला आजमगढ़ की पुत्री को दिनांक 25-03-2025 को समय लगभग 12 बजे विपक्षी रवि कुमार पुत्र दिनेश राम अपने साथ बहला फूसला कर भगा ले गये, आवेदिका द्वारा बहुत खोज बीन किया लेकिन कुछ पता नही चला। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा दिनांक 28.03.25 दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0स0 63/25 धारा 137(2)/87/61(2) बी0एन0एस0 जिसकी विवेचना व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है थी विवेचना से अपहृता की दिनांक 30.03.25 को बरामद किया गया तथा अभियुक्त के घर व मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह के आज दिनांक 01.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र दिनेश राम निवासी उँचहुवाँ थाना तरवां आजमगढ को मेहनाजपुर तिराहां थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ से समय करीब 10.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

03.थाना रौनापारः फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 427/2022 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ सर्वेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह उर्फ भोपाल सिंह निवासी ग्राम पनशब्दा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के घर व सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 30.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 82 द0प्र0स0 की नोटिस समक्ष गवाहान 1. शेरू सिंह पुत्र संजय सिंह व 2. अभिनव सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह निवासीगण पनशब्दा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के चस्पा किया गया तथा डुग्गी पिटवाकर व मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

04.थाना रौनापारः फरार अभियुक्तों के घर 84 बीएनएसएस की नोटिस चस्पा।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 367/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त फैसल पुत्र इस्तेयाक निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के घर व सार्वजनिक स्थानों पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 84 BNSS की आदेशिका समक्ष गवाहान 1. शेरू सिंह पुत्र संजय सिंह तैयब पुत्र ईदू 2. साहिद पुत्र नुरनैन निवासीगण सोन बुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के दिनांक 30.03.2025 को चस्पा किया गया तथा डुग्गी पिटवाकर व मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

05.थाना अहरौला: फरार अभियुक्त के घर की चल सम्पत्ति को नियमानुसार किया गया कुर्क।

घटना का संक्षिप्त विवरण.- माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डी0 एफ टी सी आजमगढ़ मु0नं0 110/2022 धारा 354/452/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बनाम नूर मोहम्मद पुत्र रईश अहमद निवासी गढा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फरार चल रहे अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त की कुर्की कार्यवाही की सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2025 को उ0नि0 विजयी हम हमराह ग्राम गढ़ा अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र रईश अहमद निवासी गढा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ जो मु0नं0 110/22 धारा 354/452/506 भादवि स्टेट बनाम नूर मोहम्मद में फरार चल रहे है। अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डी0 एफ टी सी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त आदेश कुर्की के अनुपालन में अभियुक्त नूर मोहम्मद के घर पहुंचा। ग्राम के निष्पक्ष व्यक्तियों को तलब कर बुलाया गया गांव के ग्राम प्रधान हरिकेश यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी हांसापुर कला (गढ़ा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व अन्य गवाहान की उपस्थिति में अभियुक्त के घर चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया। दौराने कुर्की की कार्यवाही अभियुक्त के परिजन भी मौजूद रहे।

06. थाना अहरौला: किशोरी के साथ छेड़खानी के अभियोग में फरार अभियुक्त के घर की चल सम्पत्ति को नियमानुसार किया गया कुर्क ।

पूर्व की घटना.......... दिनांक 20.07.2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 19.07.2024 को समय 6 बजे शाम को मेरी लड़की उम्र 12 वर्ष को विपक्षी अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 हरषू पाण्डेय द्वारा अपने घर रास्ते में से बुलाकर जबरजस्ती छेड़खानी की गयी तथा गाली गलौज देते हुए मारपीट की गयी, के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 342/2024 धारा 76/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. अमित पाण्डेय पिता स्व0 हरषू पाण्डेय सा0 भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 निशिकान्त को सुपुर्द हुयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2024 धारा 76/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अमित पाण्डेय पिता स्व0 हरषू पाण्डेय सा0 भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की विवेचना उ0नि0 निशिकान्त के प्रचलित है। दौराने विवेचना अभियुक्त अमित पाण्डेय उपरोक्त न तो गिरफ्तार हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध श्रीमान मा0 न्यायालय से दिनांक 06.09.2024 को एन बी डब्लू जारी हुआ था व दिनांक 11.11.2024 को अन्तर्गत धारा 84 बीएनएसएस में अभियुक्त के विरुद्ध फरार होने की उद्घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा किया गया जिसके क्रम में दिनांक 24.11.2024 को ग्राम प्रधान भोगईचा व गवाहान के समक्ष डुगडुगी व मुनादी करायी गयी व नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गयी व दिनांक 23.01.2025 को क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में पृष्ठ संख्या 02 में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 29.01.2025 को श्री मान न्यायालय आजमगढ़ के गेट के पास (सहज दृश्य भाग) चस्पा किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा नामित वांछित अभियुक्त अमित पाण्डेय के विरुद्ध धारा 85 बीएनएसएस का आदेश निर्गत किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 31.03.2025 को उ0नि0 निशिकान्त मय हमराह के अभियुक्त अमित पाण्डेय उपरोक्त के घर चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही ग्राम प्रधान व उसके परिजनो के समक्ष की गयी।

07.थाना रौनापारः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक- 01.04.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग के दौरान बरडीहा एक्सचेंज से समय करीब 03.40 बजे अभियुक्त अमित यादव पुत्र लालचन्द्र यादव निवासी ग्राम शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रौनापार मु0अ0सं0 120/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 120/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 307/395/412/504/506 भादवि व 3/27/25 आयुध अधि0 थाना रौनापार आजमगढ़।

08.थाना रौनापारः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक- 01.04.2025 को उ0नि0 विवेक सिंह मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग के दौरान सहनूपुर पुलिया वहद ग्राम सहनूपुर से सुबह समय करीब 03.30 बजे अभियुक्त सोनू यादव पुत्र सुर्यभान यादव निवासी ग्राम देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।